

सं०सं०-प्रशि० नि० सं०- 78/2007 ...../ 2368

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग,  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार  
निदेशक,  
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 17.6.08

विषय:- संबंधन प्राप्त सभी व्यवसायों / यूनिटों में एक साथ नामांकन कर प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशक, नामदा औ० प्र० केन्द्र, राजीव नगर, पटना द्वारा संबंधन प्राप्त व्यवसायों यथा :- इलेक्ट्रीशियन 2(1+1) एवं फीटर 2(1+1) का सत्र 2007-09 में एक साथ सभी यूनिटों में नामांकन कर इसकी स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया तथा इसके बदले में अगले वर्ष कोई नामांकन नहीं करने सम्बन्धी नोटरी का शपथ पत्र भी दिया है । इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण के उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त केन्द्र को उल्लिखित व्यवसायों / यूनिटों में सत्र 2007-09 में एक साथ नामांकन कर प्रशिक्षण देने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अगले सत्र 2008-10 में उक्त यूनिटों के विरुद्ध वे कोई नामांकन नहीं करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

( प्रदीप कुमार )

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक प्रावैधिक शिक्षा, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- निदेश दिया जाता है कि इसे बेबसाईट पर रखे जाने की कार्यवाई की जाय ।

2368  
( प्रदीप कुमार ) 17/6/08  
निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

17.6.08